सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्याः– 229 / 2022 जी.सी.एम.एस नं0 2022 / 544

गोपाल लाल पुत्र छोटू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम रलावता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:वादी:–

बनाम्

1. गिर्राज शर्मा पुत्र गंगू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम रलावता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जेएलएन मार्ग जयपुर राजस्थान।
3. ग्राम पंचायत सिन्दोली जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिन्दोली पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

–:प्रतिवादीगणः–

दावा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पवन कुमार शमा, एड0 वादी
श्री विनोद शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 2

दिनांक 23 / 12 / 2024

पर्चा डिक्री

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 97 रकबा 1.5300 है0 व खसरा नम्बर 98 रकबा 0.3794 हैक्टेयर वाके ग्राम रलावता प.ह. सिन्दोली भू0अ0नि0 क्षैत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है उक्त विवादित भूमि का एक भू0अ0निरीक्षक व दो पटवारियों की टीम गठित कर नियमानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करें एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का जब तक सीमाज्ञान न हो तब तक वादी की भूमि किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे, ना ही खुर्द–बुर्द करें। तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि की 30 दिवस में सीमाज्ञान की कार्यवाही की जाकर न्यायालय को अवगत करावे।
यह निर्णय आज दिनांक 23 / 12 / 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते